No. A-12025/13/2020-Administration

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development &Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, Dated 09th September, 2026

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. The Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/ Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short term contract) basis- Extension of last date of receipt of application-reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 24.04.2026 & 20.07.2026 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to state that the last date of receipt of application for the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) has now been extended by 30 days from the date of publication in Employment News.

Encl: As above

09.09.2026

(Saket Sourav)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-23738126
Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action to: -

1. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJCs/DCs in D/o WR, RD & GR
3. Section Officer (Coordination), DoPT, 31049(W/H), Kartavya Bhavan-03, New Delhi (Email: kaushik.rahul@gov.in) - with the request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.

सं. ए-12025/13/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 09 सितम्बर, 2026

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/ सांविधिक संगठन।

विषयः - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने से संबंधित- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.04.2026 एवं 20.07.2026 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बढ़ा दी गई है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(साकेत सौरभ)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23738126

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषितः –

i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
iii. अनुभाग अधिकारी (कोर्डिनेशन)} कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 31049 (W/H), कर्तव्य भवन-03, नई दिल्ली। (ईमेल: kaushik.rahul@gov.in) इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. A-12025/13/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development &Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, Dated 20th July, 2026

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. The Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/ Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short term contract) basis- **Extension of last date of receipt of application-reg.**

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 24.04.2026 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to state that the last date of receipt of application for the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) has now been extended by 30 days from the date of publication in Employment News.

Encl: As above

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-23738126
Email: usadmn-mowr@nic.in

सुभाष चन्द / SUBHASH CHAND
अवर सचिव / Under Secretary
जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Deptt. of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi-110001

Copy forwarded for similar action to: -

1. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJCs/DCs in D/o WR, RD & GR
3. Under Secretary {CS-I(Coord)}, DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.

सं. ए.12025/13/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 20 जुलाई,2026

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/ सांविधिक संगठन।

विषयः - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने से संबंधित- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.04.2026 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बढ़ा दी गई है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

(सुभाष चंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23738126

सुभाष चन्द / SUBHASH CHAND
अवर सचिव / Under Secretary
जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Deptt. of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
भारत सरकार / Govt. of India
New Delhi-110001

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषितः –

i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
iii. अवर सचिव {सीएस-I (कोर्डिनेशन)} कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, 'ए' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

A.12025/13/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development &Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, Dated 24th April, 2026

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. The Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short term contract) basis-reg.

Madam/Sir,

I am directed to state that Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation proposes to fill up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline), a General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial post in the pay matrix Level-13 (Rs. 123100-215900) on deputation (including short term contract) basis.

Eligibility: -

2. Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories Administration or Public Sector Undertakings or university or recognised Research Institution or autonomous or Statutory Organizations who have following qualifications are eligible: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years service rendered in the grade after appointment thereto on a regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following education qualifications and experience:

(i) Graduate Degree in Agricultural Engineering or Soil and Water Conservation Engineering from a recognised University or Institute;

Or

Post Graduate Degree in Agronomy or Soil Science or Environment or Geo-technical or Water Resources or Hydraulics Development or Irrigation Water Development from a recognised University or Institute; and

(ii) With twelve years' experience in water conservation or water management or planning of irrigated agriculture or on-farm development work in the irrigation or agricultural department of a State or Union territory Administration or Central Government or in any recognised agricultural University or in any agricultural

training or research or management institute or Water Engineering Services of the Central Government.

3. The total period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five (05) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

4. The officer selected on deputation basis will have the option to draw his pay in the pay matrix in the parent cadre plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the pay matrix of the deputation post subject to the restrictions contained in the Department of Personnel & Training O.M. No. 6/8/2009-Estt (Pay-II) dated 17.06.2010, as amended from time to time.

5. It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible and willing officers duly completed and signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure A) & countersigned by the sponsoring authority along with requisite certificate/documents may be forwarded to the undersigned within 60 days from the date of publication of advertisement in the Employment News. While forwarding the applications the sponsoring authority may certify that: -

i. Particulars given by the applicant are correct;
ii. His/her integrity is certified;
iii. There is no vigilance or disciplinary case either pending or contemplated against the applicant;
iv. No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed (as the case may be)
v. Photocopies of the APARs for the last five (5) years duly attested on each page by an officer not below the rank of Under Secretary or equivalent.

6. Advance copy of application may be forwarded by email to usadmn-mowr@nic.in or admn-mowr@nic.in . Applications not received through proper channel in hard copy or received after the prescribed date or without the desired certificate/documents will not be entertained.

Yours faithfully,

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-23738126
Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action to: -

1. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJCs/DCs in D/o WR, RD & GR
3. Under Secretary {CS-I(Coord)}, DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.

सं. ए.12025/13/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

सेवा में

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/ सांविधिक संगठन।

विषयः - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने से संबंधित।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रूपए 123100-215900) में ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद को भरे जाने का प्रस्ताव है।

<u>पात्रता</u>

2. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो निम्नलिखित अर्हताओं को धारण करते हों, पात्र होंगे-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों; या

(ii) नियुक्ति के उपरांत, मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रूपए 78800-209200) अथवा इसके समतुल्य ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव और अनुभव रखते हैं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संसथान से कृषि इंजीनियरिंग या मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;

या

जल संरक्षण या जल प्रबंधन या सिंचित कृषि योजना तैयार करने या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केंद्रीय सरकार के सिंचाई या कृषि विभाग में या किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय सर्कार के किसी कृषि प्रशिक्षण या अनुसंधान या प्रबंधन संस्थान या जल इंजीनियरिंग सेवाओं में खेतों में विकास कार्य करने का बारह वर्ष का अनुभव।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमे केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतय पांच (05) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित अधिकारियों के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-(वेतन-।।), समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा प्रतिबंधित शर्तों के अनुसार अपने मूल संवर्ग में मैट्रिक्स के अनुसार अपने वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

5. अनुरोध किया जाता है इस कि पद का व्यापक प्रचार किया जाए और पात्र और इच्छुक अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक क) में संबंधित अधिकारियों के संपूर्ण विवरण हस्ताक्षर और प्रायोजित प्राधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित करते समय प्रायोजित प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि:

i. आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है।
ii. आवेदनकर्ता की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
iii. आवेदनकर्ता के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।
iv. पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर किसी भी प्रकार की बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले (मामले के अनुरूप) 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची (मामले के अनुसार) संलग्न है।
v. एपीएआर की प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम अवर सचिव या इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा सत्यापित करके संलग्न की जाए।

6. आवेदन की अग्रिम प्रति ई-मेल द्वारा usadmn-mowr@nic.in या admn-mowr@nic.in पर अग्रेषित की जा सकती है। निर्धारित तारीख के बाद अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के अभाव में ऐसे आवेदनों का निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(सुभाष चंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23738126
ईमेल- usadmn-mowr@nic.in

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषितः -

i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
iii. अवर सचिव (सीएस-। (कोर्डिनेशन)) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, 'ए' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।